छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक ....02.... / वि.स. / सं.–1 / 2016 रायपुर, दिनांक 16.12.2016

निविदा

पुस्तकालय भवन हेतु फर्नीचर

छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवनिर्मित पुस्तकालय भवन तथा विधान सभा सचिवालय हेतु ब्रान्डेड कम्पनी (गोदरेज, स्टेलर्स, मेथोडेक्स,......... आदि) अथवा समतुल्य निर्माताओं से फर्नीचर के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं ।

निर्माता कम्पनी को विधानसभा परिसर में निर्मित पुस्तकालय भवन का अवलोकन कर फर्नीचर के स्थापित करने के संबंध में ड्राइंग आदि के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा । पुस्तकालय भवन का अवलोकन दिनांक– 20 दिसम्बर, 2016 से 19 जनवरी, 2017 तक कार्यालयीन दिवस में अपरान्ह 2:00 से 4:00 बजे के मध्य किया जा सकता है और निविदा प्रस्ताव दिनांक 20 जनवरी, 2017 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

फर्नीचर स्थापित करने का प्लान (प्रस्ताव) एवं दरें पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक है । जिन प्रदायकर्ताओं की फर्नीचर स्थापित करने की योजना का चयन किया जायेगा, उसी क्रम में प्रथम दो निविदाकारों की दरें खोली जायेंगी । क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार प्रथम दो निविदाकारों में से किसी एक निविदाकार अथवा दोनों ही निविदाकारों का चयन भवन के पृथक–पृथक स्थानों के लिये किया जा सकता है ।

विधान सभा सचिवालय हेतु वांछित सामग्री की दर व स्पेसीफिकेशन पृथक लिफाफे में देना होगी ।

निविदा की विस्तृत जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाईट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

निविदा की शर्तें/जानकारी

1. निविदाकर्ता को विधानसभा परिसर में निर्मित पुस्तकालय भवन के कक्षों, मुख्य प्रवेश द्वार का अवलोकन कर फर्नीचर की मात्रा तथा तदनुसार प्रत्येक सामग्री की दरें तथा विस्तृत स्पेसिफिकेशन के साथ प्रस्तुत करनी होगी । साथ ही स्थापित की जाने वाली सामग्री की ड्राइंग कक्षवार देनी होगी तथा आवश्यकता होने पर स्वयं के व्यय से सचिवालय में पावर पाईंट प्रेजेन्टेशन देना होगा । पुस्तकालय भवन में फर्नीचर स्थापित करने हेतु प्लान (प्रस्ताव) तथा दरें पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।

2. पुस्तकालय में कक्ष क्रमांक पी–1 तथा पी–2 में निज सहायक (पी.ए.) तथा पी–3 व पी–7 में वरिष्ठ अधिकारी, पी–4 में ई–लाईब्रेरी के लिये कम्प्युटर स्थापित करने हेतु वर्कस्टेशन तथा पी–5 व पी–8 में अधिकारीगण तथा पी–9 व पी–10 में लाईब्रेरी के स्टाफ हेतु आवश्यकतानुसार फर्नीचर की व्यवस्था करनी होगी । पी–11 अध्ययन कक्ष तथा पी–12, 13 व 14 में पुस्तके, जर्नल आदि रखने हेतु आलमारी, कम्पेक्ट बुक सेल्फ आदि की व्यवस्था करनी होगी तथा पुस्तकालय के मुख्य प्रवेश द्वार में रिसेप्शन में बैठने हेतु फर्नीचर की आवश्यकता होगी ।

3. निविदाकर्ता को विधानसभा सचिवालय हेतु वांछित स्टील आलमारी, ग्लास डोर आलमारी, कम्प्युटर टेबिल, कम्प्युटर चेयर एवं हाईबेक रिवाल्विंग चेयर की दरें एवं विस्तृत स्पेसिफिकेशन पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा ।

4. सामग्रियों की दरें प्रति नग समस्त कर सहित तथा दरों की वैद्यता अवधि उल्लेखित करते हुए प्रस्ताव देना होगा ।

5. प्रत्येक सामग्री की दरों में कर का स्पष्ट उल्लेख हो ।

6. निविदाकर्ता डी.जी.एस. एण्ड डी. की दरें, यदि कोई हो तो, भी प्रस्तुत कर सकेगा ।

7. निविदाकर्ता का वाणिज्य कर पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

8. निविदाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के आयकर गणना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

9. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत राशि रूपये में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की राशि रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) प्रमुख सचिव , छत्तीसगढ़ विधानसभा , रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा । अमानत राशि की एफ0डी0 पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।

निरंतर,...............

10 निविदाकर्ता को एक बड़े लिफाफे के अन्दर अमानत राशि , विधानसभा सचिवालय के फर्नीचर संबंधी स्पेसीफिकेशन व दरें, पुस्तकालय फर्नीचर हेतु ड्राइंग/प्रस्ताव तथा पुस्तकालय फर्नीचर की दरें पृथक–पृथक लिफाफों में विषय अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी ।

11. सामग्री के नमूने का प्रदर्शन क्रय समिति के समक्ष विधानसभा सचिवालय द्वारा सूचित करने पर निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा ।

12. सचिवालय द्वारा क्रय आदेश प्रदाय की तिथि से अधिकतम 30 दिवस के अन्दर वांछित सामग्री सही/चालू हालत में सचिवालय में स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः पहुंचानी होगी ।

13. आदेशित सामग्री निविदा में उल्लेखित गुणवत्ता में निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।

14. निविदाकर्ता संस्था को प्रदाय सामग्री की वांरटी अवधि का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से करना होगा ।

15. विधानसभा सचिवालय हेतु स्टील आलमारी, ग्लास डोल आलमारी, कम्प्युटर टेबल, कम्प्यूटर चेयर एवं हाईबेक रिवाल्विंग चेयर क्रय किया जाना है ।

16. निविदा प्रस्ताव विधानसभा भवन स्थित अनुभाग अधिकारी, संपदा शाखा कक्ष क्रमांक–बी–7 के पास दिनांक 20 जनवरी, 2017 अपराह्न 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय–सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।

17. निविदा को मान्य या अमान्य करने का प्राधिकार प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।

18. किसी भी विवाद पर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.